तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **पवन कुमार शर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर** **209/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00085)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाब एतराज प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2019 पारित किया गया है एवं तहसीलदार मलसीसर की अभिशंषा अनुसार राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3/2/(2)राज–6/2003/ पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत करने पर पारित किया गया है, जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त जयपुर।	